चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

<u>तत्काल/अति आवश्यक</u>

पत्रांक : पी0ए0/6926
दिनांक : 16.01.2023

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव
समस्त सम्बद्ध अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः–वित्तीय वर्ष/शैक्षणिक सत्र 2022–2023 में दषमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित किये गये छात्र/छात्राओं की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उर्पयुक्त विषयक शासनादेश संख्या–127/2022/2936/26–03–2022–4(358)/07 टी0सी0 111 दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 का संर्दभ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमे विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय/संस्थान के द्वारा scholarship portal पर अपलोड की गई निम्न सूचनाए उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जो निम्न है–

2 विश्वविद्यालय से संम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्वःवित्त पोषित महाविद्यालयों में संचालित पाठयक्रमों का सम्बद्धता पत्र विषयवार एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षको का अनुमोदन पत्र तथा महाविद्यालय/संस्थान द्वारा शिक्षकों के वेतन भुगतान का बैक स्टेटमेन्ट (राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों को छोडकर) की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान को विश्वविद्यालय द्वार निर्गत प्रबन्ध समिति का अनुमोदन पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4 महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा अग्रसारित किये गये छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति हेतु आवेदित डाटा (पी0डी0एफ0 फाईल में) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5 यदि छात्र/छात्राओं का प्रवेश विश्वविद्यालय के पंजीकरण पोर्टल के अलावा अन्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार हुआ है तो छात्र/छात्राओं का ऑफर लेटर का पी0डी0एफ0 फाईल में उपलब्ध कराये।

6 महाविद्यालय/संस्थान के सचिव/प्राचार्य (सचिव का फोटो नोटरी सहित) के द्वारा 100/– के शपथ पत्र इस आशय से प्रेषित की महाविद्यालय/संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, के नियमों के अनुसार ही किया जा रहा हैं। यदि इसमें कोई छात्र/छात्रा का छात्रवृत्ति का अवेदन पत्र नियम विरूद्ध अग्रसारित किया जाता है तो महाविद्यालय/संस्थान स्वयं जिम्मेदार होगा।

7 महाविद्यालय/संस्थान के द्वारा अग्रसारित छात्र/छात्राओं का 75 प्रतिशत से उपर की उपस्थिति को प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराये।

अतः उक्त के कम में आपको निर्दशित किया जाता है कि उपयुर्क्त सुचनाएं सत्यापित कर दिनांक 18.01.2023 तक श्री एस0पी0 सिंह (नोडल अधिकारी, छात्रवृति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को उपलब्ध कराना सुनिशिचत करें, अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वंय जिम्मेदार होगा।

भवदीय,
16-01-2023
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–
1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)
3. प्रभारी विष्वविद्यालय वेबसाइट।

कुलसचिव

File No.26-3099/300/2021- -3-

I/246904/2022

संख्या–127 / 2022 / 2936 / 26–3–2022–4(358) / 07 टी.सी.।।।

प्रेषक,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 12 दिसम्बर, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ0 प्र0 के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों हेतु मास्टर डाटा एवं ऑनलाइन आवेदन एवं अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–सी–3647 / स0क0 / शिक्षा–अ / 2 / 76 / 2022–23, दिनांक–12.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ0 प्र0 के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों हेतु मास्टर डाटा एवं ऑनलाइन आवेदन एवं अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या–47 / 2022 / 902 / 26–3–2022–4(358) / 07टी0सी0–III दिनांक 02.05.2022 द्वारा निर्गत समय–सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

क0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु वर्तमान समयावधि (2022–23)	कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं में प्रस्तावित समयावधि (2022–23)
1	2	3	4
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग / विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें)। मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर / अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर	03 अक्टूबर, 2022 से 10 अक्टूबर, 2022 तक।	12 दिसम्बर, 2022 से 19 दिसम्बर, 2022 तक।

dharmesh sir g.o

	से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार, पाठ्यकमवार - कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम एवं आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित /अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।		
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, 3–प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ–226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	03 अक्टूबर, 2022 से 10 अक्टूबर, 2022 तक।	12 दिसम्बर, 2022 से 19 दिसम्बर, 2022 तक।
1बी	योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना।	03 अक्टूबर, 2022 से 14 अक्टूबर, 2022 तक।	13 दिसम्बर, 2022 से 21 दिसम्बर, 2022 तक।
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली में उल्लिखित संस्थानों हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना।	14 सितम्बर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक।	22 दिसम्बर 2022 से 05 जनवरी, 2023 तक।

2ए	योजनाधिकारी, बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	30 नवम्बर 2022 तक।	06 जनवरी, 2023 से 20 जनवरी, 2023 तक।
3	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	08 दिसंबर 2022 तक।	06 जनवरी, 2023 से 20 जनवरी, 2023 तक।
3ए	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) ऑनलाईन लॉक किया जाना।	08 दिसंबर 2022 तक।	06 जनवरी, 2023 से 20 जनवरी, 2023 तक।
04	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	02 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक।	यथावत्।
05	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	23 दिसम्बर 2022 तक।	यथावत्।
06	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर बैंक/कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	28 दिसम्बर 2022 तक।	यथावत्।
	कक्षा 11--12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु		
07	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01दिसंबर 2022 से 10 दिसंबर 2022 तक।	12 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर, 2022 तक।

08	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
09	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	02दिसंबर, 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक।	13 दिसंबर, 2022 से 30 दिसंबर 2022 तक।
10	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 दिसंबर, 2022 से 19 दिसंबर 2022 तक।	13 दिसंबर, 2022 से 02 जनवरी, 2023 तक।
11	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाईन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/ छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	30 दिसम्बर, 2022 तक।	30 जनवरी, 2023 तक।
12	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यकम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यकमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	20 दिसंबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक।	03 जनवरी, 2023 से 30 जनवरी, 2023 तक।
13	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण(स्कूटनी) किया जाना।	20 दिसंबर 2022 से 05 जनवरी 2023 तक।	03 जनवरी, 2023 से 18 जनवरी 2023 तक।
14	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	06 जनवरी 2023 से 07 फरवरी 2023 तक।	19 जनवरी 2023 से 17 फरवरी, 2023 तक।

15	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र/संस्थाओं के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना।	06 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023 तक।	19 जनवरी, 2023 से 27 जनवरी, 2023 तक।
16	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना।	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 16 जनवरी, 2023 तक।	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 30 जनवरी, 2023 तक।
17	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना तथा छात्र द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों को जिला कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध कराना।	07 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 तक।	20 जनवरी 2023 से 02 फरवरी, 2023 तक।
18	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	20 जनवरी 2023 से 06 फरवरी 2023 तक।	03 फरवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक।
19	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	07 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक।	17 फरवरी, 2023 से 10 मार्च, 2023 तक।
20	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	06 मार्च 2023 तक।	15 मार्च, 2023 तक।
21	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/ बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	10 मार्च 2023 तक।	20 मार्च 2023 तक।

नोटः–

1– उक्त समय–सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks/Promoted without marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।

2– नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Numer) अंकित करते हुये ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी।

I/246904/2022

3– छात्र द्वारा दिनांक 02 मई, 2022 एवं 02 दिसम्बर, 2022 को जारी समय–सारिणी की समयावधि में वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्सन चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन किया गया हो तो ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में होने के कारण संदेहास्पद डाटा को सही करने की वर्तमान समय–सारिणी की समयावधि दिनांक 19 जनवरी, 2023 से 27 जनवरी, 2023 तक सही करके संस्था से भी यथास्थान परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। दिनांक 27 जनवरी, 2023 तक परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में Result Not Yet Declared आप्शन से भरे गये आवेदन में संशोधन न करनें एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

4– संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत भरना अनिवार्य होगा।

5– विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल एवं अधिकतम 27 जनवरी, 2023 तक छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड करेगें जिससे कि छात्र के परीक्षा परिणाम का मिलान स्कूटनी के समय किया जा सके।

6– फाइनल प्रिन्ट न लेने वाले तथा शिक्षण संस्थान से अग्रसारित न होने वाले लम्बित डाटा को उक्त समय–सारिणी में निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत फाइनल प्रिन्ट/अग्रसारण की कार्यवाही की जा सकेगी।

शासनादेश संख्या–47/2022/902/26–3–2022–4(358)/07टी0सी0 III दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा जारी समय–सारिणी के अनुसार सभी सही एवं सत्यापित छात्रों का भुगतान की कार्यवाही दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण की जायेगी। उसके उपरान्त मास्टर डाटा हेतु जारी समय–सारिणी दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 एवं दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 को जारी समय–सारिणी में मास्टर डाटा से संबंधित तथा छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु दी गयी समयावधि एवं अन्य शर्तें उक्तानुसार संशोधित मानी जायेगी।

3– अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022–23 में दशमोत्तर योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 12-12-2022 18:29:00
Reason: Approved
(डा0 रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।

पृ0सं0–127/2022/2936(1)/26–3–2022 तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6– निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10– गार्ड फाईल।

(डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।